(3)

न्यायालय माननीय उच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़ बिलासपुर.

~~आवेदन~~ क्र.--2317--/2001

बलीराम चौरसिया उम्र लगभग 45 वर्ष
वल्द श्री चैतू चौरसिया, प्रधान पाठक
शास. माध्यमिक शाला कवई वि.खं. बगीचा
जिला जशपुर, छत्तीसगढ़ .. .. प्रार्थी/याचिकाकर्ता

विरूद्ध

1. छत्तीसगढ़ शासन द्वारा सचिव, (शिक्षा)
   आदिवासी विकास विभाग,
   रायपुर, छत्तीसगढ़
2. आयुक्त
   आदिवासी विकास (शिक्षा)
   रायपुर, छत्तीसगढ़
3. उप-आयुक्त, आदिवासी विकास बिलासपुर
4. अति. कलेक्टर
   जिला रायगढ़ छत्तीसगढ़ .. .. .. उत्तरवादीगण

P. R. No. 2318/01
Fresh/Regd. Advt. Wkab. Khan
Dated 31.1.01

"याचिका अन्तर्गत अनुच्छेद 226 सहपठित अनुच्छेद 227 भारतीय संविधान वास्ते प्रकरण क्रं. 0ए/नं. 272/99 पक्षकार बलीराम चौरसिया विरूद्ध छत्तीसगढ शासन वगैरह में न्यायालय श्रीमान म.प्र. प्रशासनिक न्यायाधिकरण रायपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 18.1.2001 को निरस्त करने।

(22)

XII-HC—78

उच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़, बिलासपुर

मामला क्रमांक WP 2317 सन् 2001

आदेश पत्रक (पूर्वानुबद्ध)

आदेश का दिनांक तथा आदेश क्रमांक	हस्ताक्षर सहित आदेश	कार्यालयीन मामलों में डिप्टी रजिस्ट्रार के अंतिम आदेश
17.06.03	Shri S.U. Shashi 29.8.02 Counsel for the petitioner. Shri Ranbir Singh the Govt. Advocate for the for State. office Learned counsel appearing for the petitioner submits that he is 30/8/ withdrawing the petition. The petition is nerth dismissed as withdrawn. rem out	

Sd/-
Chief Justice

Sd/-
L.C. Bhadoo
Judge

Sona

9

Hon
ble

21/02/18 8/2/18 15/2/18